संचिका संख्या 14/विविध–104/ 2002–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के सेवी वर्ग को इन्ट्रा ऑकुलर लेंस इम्पलान्ट एवं सम्बन्धित शल्य चिकित्सा के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम प्रतिपूर्त्ति योग्य राशि का निर्धारण ।

ऑख के रोगियों के द्वारा इन्ट्रा ऑकुलर लेंस लगाये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग में जो प्रस्ताव आ रहे थे उसमें लेंस की दर की भिन्नता के कारण प्रतिपूर्ति की राशि में एकरूपता का अभाव पाया जा रहा था । फलस्वरूप लेंस की कीमत का निर्धारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

2. सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, राज्य सम्पोषित अस्पतालों एवं राज्य के बाहर अनुमति प्राप्त अस्पतालों में नेत्र रोग के लिए करायी गई अन्तर्वासी चिकित्सा के कम में इन्ट्रा ऑकुलर लेंस (फोल्डेड एवं अनफोल्डेड) इम्पलान्टेशन के लिए अधिकतम 5000/– (पॉच हजार) रूपये अनुमान्य होगा एवं शल्य चिकित्सा में होनेवाला व्यय जो अनुमान्य हो, दिया जायेगा परन्तु लेंस एवं चिकित्सा दोनों पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा मात्र 10,000/– (दस हजार) रूपये निर्धारित की जाती है ।

3. इसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

09/12/03

(सी0के0 अनिल)
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 14/विविध –104/2002 3800(14)/स्वा0, पटना, दिनांक : 10.12.03

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 2000 (दो हजार प्रतियाँ)स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

09/12/03

सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 14/विविध –104/2002 3800(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 10.12.03

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, राज्य के सभी कोषागार (उप कोषागार सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/12/03

सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 14/विविध –104/2002 3800(14) /स्वा0, पटना, दिनांक : 10.12.03

प्रतिलिपि : मुख्य मंत्री सचिवालय/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ उपायुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवाएँ/ सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक/ निदेशक, इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान पटना एवं निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/12/03

सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना